सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता

चरण III और IV के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्र

पात्रताः

योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र व्यक्ति होगा :–

(i) समय–समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार भारत का नागरिक और हरियाणा का वास्तविक निवासी।

(ii) आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)–परिवार आईडी होनी चाहिए।

(iii) सभी चरण III और IV के मरीज योजना के तहत पात्र होंगे।

(iv) जिन मरीजों की पारिवारिक आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, वे पात्र होंगे।

उपलब्ध लाभः

1. रू0 3000/– प्रतिमास 01.01.2024 से लागू।

आवश्यक दस्तावेजः

आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई एक):

(i) जन्म तिथि प्रमाण–पत्र

(ii) स्कूल प्रमाण–पत्र

(iii) मतदाता पहचान पत्र

(iv) मतदाता सूची में आवेदक का नाम

स्थायी निवासी होने के सम्बन्ध में : (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक जो 15 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–

(i) राशन कार्ड।

(ii) मतदाता पहचान–पत्र।

(iii) मतदाता सूची में आवेदक का नाम

अन्य दस्तावेज

(i) आधार कार्ड

(ii) आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण पास बुक की फोटो प्रति सहित।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	सेवा केन्द्र प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।